

BIHAR STATE FINANCIAL CORPORATION
H.O. - FRASER ROAD, PATNA-800001.

BSFC OTS SCHEME- 2014

1. Bihar State Financial Corporation has introduced One Time Settlement Scheme (OTS)-2014 for settlement of dues with its loanee concerns in selected categories of loan accounts as mentioned in the Scheme, the brief features of which are as under:-
 - (i) **Category-A:** Settlement of Original Promoter's loan Accounts Left after Sale (ALAS) @400% and 300% of the principal outstanding as on 31.03.14 or as of date of sale of mortgaged/ hypothecated assets as the case may be as per provisions of the Scheme in case of loan sanctioned before and after 31.03.90 respectively.
 - (ii) **Category-B:** Settlement of loan accounts @100% of Principal outstanding as on 31.03.2014, where Prime/Collateral Security is not in existence due to acquisition by Govt. or dispossession by Court's order or expiry of lease period.
 - (iii) **Category-C:** Settlement of loan accounts @100% of principal outstanding as on 31.03.2014, where loans granted upto Rs.5.00 lakhs under Special Schemes, like: Composite Loan, SEMFEX loan, Integrated Loan, Mahila Udyam Nidhi Scheme, Educated Unemployed Loan Scheme and Loans granted on Rental/lease hold premises.
2. The scheme is in operation from 01.09.2014 to 31.12.2014.
3. For details of the Scheme and Application Form etc., please contact Dy. Manager (Co-ordination) at the Head Office located at Fraser Road, Patna-800001, or the Branch Manager of your nearest Branch Office of the Corporation. The Scheme and Application Form are also available on the Corporation's website 'www.bsfc.bih.nic.in'

Managing Director

बिहार राज्य वित्तीय निगम
फ्रेजर रोड, पटना-800001

एकमुश्त ऋण निपटारा योजना-2014

1. बिहार राज्य वित्तीय निगम ने स्कीम के प्रावधानों के अधीन चयनित श्रेणियों के बकायेदार प्रवर्तकों/इकाइयों के लिए एक मुश्त निपटारा योजना-2014 लागू किया है, जिसकी संक्षिप्त विशेषता निम्नप्रकार है:-
क- श्रेणी-अ: इकाइयों की परिसम्पत्तियों की बिक्री के पश्चात् मूल इकाइयों/प्रवर्तकों के नाम बचे ऋण लेखा का निपटारा, दिनांक 31.03.2014 को या इकाई के परिसम्पत्तियों की बिक्री की तिथि को बकाये मूलधन की राशि (योजना के प्रावधानों के अनुसार जो भी लागू हो) के 400% एवं 300% की दर से क्रमशः दिनांक 31.03.1990 के पूर्व एवं पश्चात् स्वीकृत ऋणों के मामले में किया जाएगा ।
ख- श्रेणी-ब: दिनांक 31.03.2014 को मूलधन बकाये का 100% की दर से ऋण लेखा का निपटारा किया जाएगा, जहाँ सरकार के द्वारा अधिग्रहण या न्यायालयों के आदेश के तहत बेदखली या जिसका लीज अवधि समाप्त हो गया है ।
ग- श्रेणी-स: दिनांक 31.03.2014 को मूलधन बकाये की राशि का 100% की दर से ऋण लेखा का निपटारा किया जाएगा, जहाँ विशेष योजनाओं, यथा: कम्पोजिट ऋण, सेम्फेक्स ऋण, इन्टीग्रेटेड ऋण, महिला उद्यम निधि, शिक्षित बेरोजगार ऋण एवं किराये/लीज की जमीन/मकान पर दिया गया रू.5.00 लाख तक का स्वीकृत ऋण ।
2. यह योजना दिनांक 01.09.2014 से 31.12.2014 तक लागू रहेगी ।
3. योजना के संबंध में विशेष जानकारी एवं आवेदन-पत्र इत्यादि प्राप्त करने हेतु उप प्रबंधक (समन्वय), प्रधान कार्यालय, फ्रेजर रोड, पटना-1 अथवा निगम के नजदीकी शाखा कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है । योजना की जानकारी एवं आवेदन-पत्र बिहार राज्य वित्तीय निगम के वेबसाईट 'www.bsfc.bih.nic.in' पर उपलब्ध है ।

प्रबन्ध निदेशक